रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1189] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2017/वैशाख 8, 1939
No. 1189] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2017/VAISAKHA 8, 1939

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2017

का.आ. 1349(अ).— फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है; सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार संख्या का प्रयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और सरल ढंग से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और किसी व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के लिए बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत से बचाता है;

और भारत सरकार में शहरी विकास मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का संचालन कर रहा है जिसके अधीन एक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचटी) की एक इकाई के निर्माण के लिए चार हजार रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, इसका निर्माण स्व-सहायता समूह, स्वास्थ्य वार्ड समिति, ठेकेदार अथवा नकद प्रोत्साहन प्राप्त करने के इच्छुक फायदाग्राही द्वारा किया जा सकता है;

और, प्रत्यक्ष फायदा अंतरण उन व्यक्तियों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) के लिए लागू होगा जो स्वयं घरेलू शौचालय का निर्माण कर रहे हैं और नकद प्रोत्साहन राशि (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, जिसमें भारत की संचित निधि से उपगत पूर्ण अथवा आंशिक व्यय अंतर्वलित हैं;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (।)स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति से यह अपेक्षा है कि वह आधार को रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक कोई व्यक्तिगत फायदाग्राहियों के लिए, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किन्तु जो स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, 20 मई,

2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु उस दशा में जब तक वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसे व्यक्ति आधार-नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट (www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध सूची से संपर्क कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में संबंधित विभाग से किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं से यह अपेक्षित है कि ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार संख्या के लिए नामांकन नहीं कराया है आधार नामांकन सुविधाओं की प्रस्थापना करे और उस दशा में जहां ऐसे ब्लॉक या तालुका अथवा तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अब स्थित नहीं है, वहां राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में संबंधित विभाग को यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा।

परन्तु उस समय तक जब तक व्यक्ति को आधार संख्या समनुदेशित किया जाना है ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए स्कीम का फायदा प्रदान किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है, तो उसकी आधार नामांकन आईडी पर्ची; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में विर्निदिष्ट किए गए अनुसार आधार नामांकन के लिए उसके अनुरोध पत्र की प्रति, और

(ख) (i) गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) का कार्ड, या; (ii) मतदाता पहचान पत्र ; या (iii) राशनकार्ड ; या (iv) स्थाई लेखा संख्या (पेन) कार्ड ; या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vi)पासपोर्ट (vii) फोटो सहित बैंक पास बुक ; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) किसी सरकारी पत्र शीर्ष (लेटर हेड) पर किसी राजपत्रित अधिकारी या जारी ऐसे सदस्य के फोटोयुक्त पहचान का प्रमाण-पत्र ; या (x) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परंतु यह और कि उस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित अधिकारी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

2. अधीन फायदाग्राहियों के लिए स्कीम के सुविधाजनक और निर्बाध हकदारियां उपलब्ध कराने के लिए स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबंधित विभाग सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं अर्थात्:-

(क) आवेदकों या फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक कराने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, उन्हें, 20 मई, 2017 तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकट नामांकन केन्द्रों में स्वयं के नामांकन करवाने की सलाह दी जा सकती है। उपलब्ध स्थानीय नामांकन केन्द्रों की सूची (www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है।), उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी।

(ख) यदि, फायदाग्राही ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आस-पास के क्षेत्रों में नामांकन केन्द्र उपलब्ध नहीं होने के कारण नामांकन कराने में असमर्थ हैं, तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन में संबंधित विभाग को सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराना अपेक्षित है और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा अभिहित शहरी स्थानीय निकायों के संबंधित अधिकारियों के पास या प्रदान किए गए वेब पोर्टल के माध्यम से अपने नाम, पते, मोबाइल संख्याएं जैसे अन्य ब्यौरों को देकर आधार के नामांकन हेतु अपने अनुरोधों का रजिस्टर कराएं जैसा कि पैरा 1 के उप-पैरा (3) के पहले परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट किया गया है।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी।

[फा.सं.8/8/2016-एसबीएम-1]

प्रवीण प्रकाश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April , 2017

S.O. 1349 (E).– Whereas, the use of Aadhaar number as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Urban Development (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the Centrally Sponsored Scheme of the Swachh Bharat Mission (URBAN) (hereinafter referred to as the Scheme) under which an incentive amount up to four thousand rupees is provided for construction of one unit of Individual Household Toilet (IHHT), which can be done by the Self Help Group, Health ward Committee, Contractor or the individuals seeking cash incentive;

And whereas, the Direct Benefit Transfer shall be applicable to Individuals (hereinafter referred to as beneficiaries) who are constructing toilet by themselves and eligible to receive cash incentive (hereinafter referred to as benefit), which involves expenditure fully or partly incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: –

1. (1) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefit under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 20th May ,2017 , provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment center (list available at Unique Identification Authority of India(UIDAI) (website:www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department in the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme which requires an individual to furnish Aadhaar , is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the individual beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment center located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil , the concerned department in the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the Individual, benefit under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:—

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Below Poverty Line (BPL) Card; or (ii) Voter identity card; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Passport; or (vii) Bank passbook with photograph; or (viii) Kisan Photo passbook; or (ix) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted officer on an official letter head; or (x) Any other documents as specified by the State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the concerned Department in the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme shall make all the required arrangements including the following, namely: –

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the applicants or beneficiaries through Urban Local Bodies to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefit under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centers available in their areas by

20th May, 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department in the State Government or Union territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses , mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph(3) of paragraph1, with the concerned officials of Urban Local Bodies as designated by the State Government or Union territory Administration or through the web portal provided for the purpose.

3 This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F.No.8/8/2016-SBM-1]

PRAVEEN PRAKASH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2017.04.28 17:03:02 +05'30'